

## प्रदेश के 1001 गाँवों में सभी परिवारों को 'हर घर जल' कनेक्शन की सौगात चर्चा में क्यों?

7 फरवरी, 2022 तक की रपॉर्ट के अनुसार जल जीवन मशिन (जेजेएम) के तहत राजस्थान के 1001 गाँवों में सभी परिवारों को 'हर घर जल' कनेक्शन की सुविधा मुहैया करा दी गई है। इन गाँवों में सभी लोगों को अपने घर पर ही नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

### प्रमुख बटि

- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024 तक प्रदेश के सभी ग्रामीण परिवारों को हर घर जल कनेक्शन दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है।
- राज्य के 617 गाँवों में 90 प्रतिशत से अधिक, 705 गाँवों में 80 प्रतिशत से ज्यादा तथा 772 गाँवों में 70 प्रतिशत से अधिक परिवारों को 'हर घर जल' कनेक्शन के ज़रिये पेयजल आपूर्ति की जा रही है। प्रदेश में वर्तमान में प्रतिदिन करीब 3 हज़ार नए ग्रामीण परिवारों को हर घर जल कनेक्शन दिये जा रहे हैं।
- प्रदेश के ज़िलों में श्रीगंगानगर के सर्वाधिक 192 गाँवों में सभी परिवारों को 'हर घर जल' कनेक्शन में कवर किया जा चुका है। नागौर के 161, राजसमंद के 92, चूरु के 81, जयपुर के 71, हनुमानगढ़ के 62, भीलवाड़ा के 40, सीकर के 39, जोधपुर के 34 एवं बीकानेर के 27 गाँवों में 'हर घर जल' कनेक्शन का कवरेज पूरा कर लिया गया है।
- उल्लेखनीय है कि प्रदेश में जेजेएम के तहत अब तक 35 हज़ार 776 गाँवों में 128 बृहद् पेयजल परियोजनाओं और 9188 मल्टी एवं सगिल वल्लेज परियोजनाओं सहित कुल 9316 ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं में 86 लाख 21 हज़ार 450 'हर घर जल' कनेक्शन की स्वीकृतियाँ जारी की जा चुकी हैं।
- इसके वरिद्ध अब तक 25 हज़ार 937 गाँवों में 8673 ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं की तकनीकी स्वीकृतियाँ (62 लाख 51 हज़ार 516 'हर घर जल' कनेक्शन के लिये), 25 हज़ार 641 गाँवों में 8148 स्कीम्स (62 लाख 3 हज़ार 603 'हर घर जल' कनेक्शन के लिये) की नविदाएँ तथा 13 हज़ार 20 गाँवों में 5440 स्कीम्स में 32 लाख 29 हज़ार 482 'हर घर जल' कनेक्शन के लिये कार्यादेश जारी कर दिये गए हैं।